

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26,किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक/विभा.जांच/2018-1160/1003


भोपाल,दिनांक/17/06/2019

परिपत्र

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय द्वारा राज्य मंडी बोर्ड सेवा के आंचलिक कार्यालयों एवं मंडी समितियों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समय-समय पर विभागीय जांच संस्थित की जाकर संभागीय संयुक्त/उपसंचालकों /को विभागीय जांच प्रकरणों में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। संभागीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों का प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानान्तरण होने पर संभागीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा पूर्व में पदस्थ अधिकारियों को सौंपी गई जांच प्रकरण में पद नाम परिवर्तन करने तथा अन्य संभाग की जांच अगर दूसरे संभाग को सौंपी गई है तो वह जांच न करते हुए उसी संभाग के अधिकारी को सौंपने हेतु पत्राचार किया जाता है जिसके कारण सौंपी गई जांच कार्यवाही में अनावश्यक विलंब तो होता है ।

उपरोक्त स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाये कि संभागीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी को मुख्यालय द्वारा जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये है, ऐसी समस्त विभागीय जांचे आंचलिक कार्यालय में पदस्थ अधिकारी संयुक्त संचालक/उपसंचालक की हैसियत से ही जांच करेंगे क्योंकि उक्त जांचे किसी अधिकारी के नाम से नहीं बल्कि पदनाम से सौंपी गई है।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे तथा सौंपी गई जांचे समय-सीमा में अपने स्पष्ट प्रतिवेदनो के साथ मुख्यालय में प्रस्तुत करे।


  
(फैज अहमद किदवाई)

प्रबंध संचालक  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड.  
भोपाल

कमांक/विभा.जांच/2018-1160/1004  
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 17/06/2019

1. निज सहायक प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/मुख्य अभियन्ता/कार्यालय यंत्री (समस्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल
3. संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा/
4. आदेश नस्ती/परिपत्र नस्ती

  
प्रबंध संचालक  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड.  
भोपाल